महत्वपूर्ण

संख्या-01/2019/04/55-पर्या-2-2019-68(पर्या)/2018

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 04 जनवरी, 2019

विषयः-मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विभिन्न वादों में भूतपूर्व न्यायमूर्तिगण की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्यूनरेशन की व्यवस्था हेतु राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-887/पर्या/एन0जी0टी0/मा0 कमेटी/रेम्यूनरेशन/2018, दिनांक 24-12-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-18/2018/एन0जी0टी0-382/55-पर्या-2018/68(पर्या)/2018, दिनांक 06-12-18 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटियों के लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्यूनरेशन आदि की व्यवस्था हेतु रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 06.12.2018 द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन एवं अनततः अनुदान संख्या-45 के अधीन लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत-06-मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्यूनरेशन-42-अन्य व्यय से पुस्तक समयोजन लेखाशीर्षक-8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि में विनियोजन के रूप में समयोजित किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश संख्या-18/2018/एन0जी0टी0-382/55-पर्या-2018/68(पर्या0)/2018, दिनांक 06.12.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 06.12.2018 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/2018/बी-2-1155/दस-2018-244(द्वितीय)/2018, दिनांक 24.12.2018 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-01/दस-19, दिनांक 04.01.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

वित्त विभाग का पृष्ठांकन संख्या- ई-7-01/दस-19, दिनांक 04.01.2019

प्रतिलिपि महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/-
राजेन्द्र राम
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- 01/2019/03 (1)/55-पर्या-2-2019/68(पर्या)/2018 , तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।